बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग क्षेत्र का विकास एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण

- **राज्य सरकार द्वारा धार्मिक महत्व के कारण की गई कार्यवाही का विवरण :–**

1. आदेश दि0 27.1.05 से राज्य सरकार द्वारा ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ 500–500 मीटर की परिधि के भीतर खनन कार्य पर रोक लगा दी जिसकी पालना में खान विभाग द्वारा 17 खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करवा दिया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं।

2. बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग (तहसील कांमा व डीग जिला भरतपुर) एंव इसके दोनों तरफ 500–500 मीटर क्षेत्र व इसमें पडने वाले प्रमुख धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र को, खनन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, खनि अभियन्ता, भरतपुर द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.5.2007 को जारी कर दी गई है।

3. इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल एंव प्रमुख पर्वतों में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं हो रही है और न ही यहॉ कोई खनन पट्टा स्वीकृत है, यह स्थल/पर्वत निम्नानुसार है।

   आदिबद्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमनोत्री, नरनारायण तप स्थली, तप्तकुण्ड, बद्रीवन, पशुपतिनाथ, भोमासुर की गुफा, खिसलनी शिला (पींगली वाली), भोजन थाली, चन्दनवन, हिरणखुरी, देवसरोवर, चरणपहाडी, (नरनारायण पर्वत), केदारनाथ, मंचकुन्द गुफा।

4. **उच्च स्तरीय विकास समिति का गठन :–**
   राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु.–3)के आदेश दिनांक 02.01.07 से अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फ्रास्ट्रेक्चर) की अध्यक्षता में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग क्षेत्र का विकास एंव धार्मिक स्थलों का संरक्षण आदि के लिए एक उच्च स्तरीय विकास समिति का गठन किया गया है जिसकी दिनांक 23.1.07 को बैठक हुई।

5. **प्रमुख शासन सचिव,पर्यटन की अध्यक्षता में गठित समिति :–**
राज्य सरकार द्वारा बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के सर्वांगीण विकास की योजना बनाने हेतु दि0 5.7.07 को एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया जावेगा।
मास्टर प्लान के अनुरूप विकास कार्यो को समयबद्ध कार्यक्रम से पूर्ण कराया जावेगा । परिक्रमा मार्ग में पेयजल, शौचालय, यात्रीनिवास इत्यादि सुविधा का विकास कराया जावेगा । परिक्रमा मार्ग में तथा धार्मिक क्षेत्रों के अडौस पडौस में बृक्षारोपण का कार्य कराया जावेगा। कमेटी द्वारा दिनांक 29–7–07 को जिला प्रशासन व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया गया।

6. **विकास कार्यो की क्रियान्वित एंव समीक्षा हेतु कमेटी का गठन :–**
राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 29.8.06 से बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के विकास की क्रियान्वित एंव समीक्षा हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है । इसकी बैठकें लगातार की जा रही है ।

7. **मॉनीटरिंग ग्रुप :–**
राज्य सरकार द्वारा बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर तक लगी रोक का सतत् निरीक्षण बाबत अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर की अध्यक्षता में एक मॉनीटरिंग ग्रुप का गठन आदेश दिनांक 29.8.2006 से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मॉनीटरिंग ग्रुप में मन्दिरों के संत भी सदस्य हैं । इस मॉनिटिरिंग ग्रुप की पांच बैठकें 2.9.06, 21.9.06, 28.11.06, 13.2.07 और 15.3. 2007,13.4.07, 19.5.07, 6.7.07 को आयोजित हो चुकी हैं तथा मौका मुआएने में खनन कार्य बन्द पाया गया।

- **राजस्व विभाग द्वारा स्टोन क्रेशर के भूमि रुपांतरण आदेश निरस्त** राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के अ.शा.टीप क्रमांक प–9(67)राज–6/2007 जयपुर दिनांक 16.6.2007 से, बृज चोरासी कोस परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ 500–500 मीटर की परिधि में आने वाले 18 अप्रार्थीगण के स्टोन क्रेशर हेतु भूमि संपरिवर्तन के जो आदेश जारी किये गये थे, को निरस्त कर दिया है। इसकी पलना में जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा तहसील डीग के 2 एवं तहसील कामां के 16 कुल 18 क्रेशर्स के भूमि रूपान्तरण आदेश

निरस्त कर इन सभी क्रेशर्स को दिनांक 19.06.07 को बन्द कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध स्टोन क्रेशरर्स की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट सं. 4646/2007, 4647/2007, 4577/2007, व 4578/2007 दायर हुई जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया किः—

> "I deem it proper to direct the respondent state that according to their map prepared by the state govt. in presence of the stone crushers owners, shall verify this fact whether 18 stone crushers are 500 meters away from Brij chaurasi kose Parikrama Marg on both sides or not? After verifying this fact by the officials of the state Govt. in presence of the petitioners, if the stone crushers are 500 mts. Away from the Brij chaurasi kose Parikrama Marg, then they may be permitted to operate their crushers, but this could only be possible after verifying the facts, as stated herein above."

- **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा स्टोन क्रेशर्स की संचालन स्वीकृति निरस्त :—**

उक्त 18 स्टोन क्रेशर्स की संचालन स्वीकृति पूर्व में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा दिनांक 24.05.07 को निरस्त की गई थी। इस आदेश के विरूद्व सम्बन्धित स्टोन क्रेशर्स संचालकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के कुल 11 एस.बी.सिविल. रिट याचिकाएं प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.07 को यह स्थगन आदेश जारी किया गया है कि

> "Heard, Admit. Issue notice returnable with in 4 weeks. Notice may be given dasti. In the mean while opration of the order dated 24-05-07 shall remained stayed till futher orders. Intrim order shall be oprative only upto service of notices."

- **बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में चालू एंव प्रस्तावित विकास कार्यो का विवरण :—**

1. पर्यटन विभाग

राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चौरासी कोस ब्रज परिक्रमा में ब्रज भूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत चार कार्य स्वीकृत करवाये गये हैं।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाख रुपये में	वर्तमान स्थिति

1	यात्री शेड गोकुल चन्द्रमाजी कामां	59.80	कार्यादेश दिनांक 15.06.2007 को जारी किया गया है। इसी माह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।
2	यात्री निवास	51.00	राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन जून 2007 में किया गया है।कार्य इसी माह प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
3	कामां महल का संरक्षण कार्य	45.80	कार्य की निविदाऐं आमंत्रित कर ली गई हैं। इसी माह कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।
4	पूंछडी पर यात्री शेड	41.55	इस कार्य हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन किया जा रहा है। तत्पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

अन्य प्रस्तावित विकास कार्य :–

- गोवर्धन परिक्रमा पर दो स्थानों पर सुन्दर प्रवेश द्वार बनाने का कार्य।
- गोवर्धन की सात कोसी परिक्रमा पथ का सुदृडीकरण एवं सौन्दर्यकरण।

2. देवस्थान विभाग –

वर्ष 2006–07 में बृज क्षेत्र में धार्मिक एंव पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक करोड रूपये की घोषणा होने पर भरतपुर शहर में स्थित विविध मन्दिर, बृन्दावन, बरसाना में स्थित मन्दिर की मरम्मत आदि कार्य एंव बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग में संकेत चिन्हों का निर्माण, प्रवेश द्वार हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया था। श्री नरपत सिंह जी शेखावत के सुझावों को सम्मलित करते हुये पुनः दिनांक 16–6–07 को 145.12 लाख रूपये के प्रस्ताव भिजवाये गये थे जिसमें बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग में 2 प्रवेशद्वार, शौचालय, संकेत चिन्ह आदि हेतु 41.50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। पूँछरी का लौठा में विश्राम स्थल, प्याउ, दो प्रवेशद्वार हेतु 22.00 लाख रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से अभी तक देवस्थान विभाग द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की है। वर्ष 2007–08 में देवस्थान विभाग द्वारा 30 लाख रूपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये गये है, जिसमें से पूँछरी का लोठा क्षेत्र में दो प्रवेशद्वार, रेस्टहाउस में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जाना है।

3. वन विभागः–

गोवर्धन परिक्रमा पूँछरी का लौठा में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 15.00 लाख रूपये की राशि दी गई है। कार्य प्रगति पर है, इसके

अलावा वन विभाग द्वारा बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग राजस्थान की सीमा में पडने वाले 71.5 किमी. में से 65 किमी. परिक्रमा मार्ग का सोन्दर्यकरण आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, चरण पहाडी, धौलागिरी, भोजनथाली आदि पर्वतों पर 2145 हेक्टेयर के क्षेत्र में वृक्षारोपण, 5 किमी. परिक्रमा मार्ग पर नहर के किनारे वृक्षारोपरण कार्य हेतु 11.79 करोड के प्रोजेक्ट तैयार कर वन विभाग ने प्रेषित किये हैं। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	सडक मार्ग वृक्षारोपण रूपये	पहाडी क्षेत्र वृक्षारोपण रूपये	कैनाल साइड वृक्षारोपण रू0	योग रूपये
शून्य वर्ष	25000000	31257800	620000	56877800
प्रथम वर्ष	4200000	19347900	200000	23747900
द्वितीय वर्ष	3520000	15015000	200000	18735000
तृतीय वर्ष	3300000	9009000	155000	12464000
चतुर्थ वर्ष	3420000	2574000	150000	6144000
योग	39440000	77203700	1325000	117968700

4. सार्वजनिक निर्माण विभागः–

ग्राम वहज में एक किलोमीटर लम्बाई के लिये सी.सी. रोड के लिये 99.4 लाख रूपये स्वीकृत हैं जिसका कार्यादेश जारी कर दिया गया हैं माह अप्रेल 07 तक पूर्ण होने की संभावना है।

बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग में 25 किमी. लम्बाई के 9 कच्ची सडक चिन्हित किये गये हैं जिसका ग्रेवल करने के लिये 97.90 लाख एंव डामरी करने के लिये 350 लाख का इस्टीमेट बनाया गया है। पूँछरी चौराहा से सामई, सामई गांव का हिस्सा,सामई से नगला दादू, बरौली धाउ से खूँटपुरी, खूँटपुरी से बिलोंद, खूँटपुरी से विलोंद–मातुकी वाया केदारनाथ मन्दिर , रॉफ–विलोंद–मातुकी सडक से लहसर वाया बादली, अग्रावली से कलावटा, कलावटा से कांमा– नौनेरा वाया भोजनथाली मन्दिर, किरावटा से नौनेरा आदि

सडक इसमें शामिल है। इसके अलावा 14 डामरीकृत सडकों की जो 48.81 किमी. लम्बाई है उसकी मरम्मत हेतु 56.65 लाख का प्रस्ताव तैयार किया हुआ है।

5. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागः–

जनस्वासथ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बरौली चौथ– पूँछरी–श्यामढाक की 49.78 लाख रूपये स्वीकृत की गई है।जिसके अन्तर्गत एक उच्च जलाशय क्षमता 3 लाख लीटर, दो गहरे नलकूप, एक स्वच्छ जलाशय में पम्प हाउस व पाईप लाईन के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यो के अन्तर्गत अभी तक उच्च जलाशय, नलकूपों एंव पाइप लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।इन कार्यो को दिसम्बर 2007 तक पूर्ण किया जाकर जल योजना का लाभ प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पूँछरी का लौठा तहसील डीग बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग राजस्थान का लगभग एक किलोमीटर भाग है।ग्राम पूँछरी का लोठा में पूर्वनिर्मित पांच नग स्तही जलाशय के पास सार्वजनिक नल दिनांक 10.7.07 को दुरूस्त कर प्रत्येक पर चार चार नल लगाकर जल वितरण किया जा रहा है। ग्राम पूँछरी का लौठा में बरौली चौथ भरतपुर फीडर/कैनाल पर बने हुये चार नलकूपों से जल उत्पादन किया जा रहा है। विभाग द्वारा नलकूप पर विद्युत विभाग से दो जल स्त्रोतों पर 24 घन्टे बिजली सुधार फीडर का कनेक्शन माह 6/07 में करवा लिया गया है। पूँछरी का लौठा में 300 किलोलीटर क्षमता का उच्च जलाशय का कार्य किया जा चुका है। अब तक पाइप लाइन बरोली चौथ से पूँछरी का लोठा तक डाली जा चुकी है।

• क्षेत्र में खनन गतिविधियों का विवरण :–

1. इस क्षेत्र में चालू खनन पट्टे वन विभाग से अनापत्ती प्राप्त कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति एंव प्रधान खनिज के खनन पट्टों में पर्यावरण विभाग नई दिल्ली से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के तहत खनन कार्य कर रहे हैं।
2. इस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षो से कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है तथा अब तक बन्द कराई / खण्डित की गई खानों का विवरण निम्नानुसार है ।

तहसील कांमा एंव डीग में खन्डित / बन्द कराई खानों का विवरण

क्रम संख्या	बन्द कराने का कारण	खानों की सं.	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के 500 मीटर की परिधि में आने से बन्द (2 खनन पट्टे प्रधान खनिज)	17	80
2	बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के 500 मीटर के समीप आने वाले क्षेत्र का आंशिक अर्ध्यपण	1	13
3	वन क्षेत्र में आने के कारण बन्द	1	392
4	खनन एंव पर्यावरणों के नियमों की पालना नहीं करने तथा अवैध खनन करने के कारण खण्डित	16	17.80
5	खान सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा 22/3 के तहत बन्द	6	6
6	भारत सरकार के पर्यावरण विभाग का अनापत्ति पेश न करने के कारण बन्द (प्रधान खनिज)	1	187.75
7	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सहमति की अवधि समाप्त होने के कारण बन्द (प्रधान खनिज)	2	70.48
	कुल	44	767.03

तहसील कांमा एंव डीग (क्षेत्रफल 831 वर्गकिलोमीटर) में चालू खानों का विवरण

क्र.स.	चालू खानों का विवरण	खानों की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
1.	प्रधान खनिज	3	255.87
2.	अप्रधान खनिज	180	582.150
	कुल	183	837.237

कुल 227 खानों के 1604.267 है0 क्षेत्र में से पिछले तीन वर्षों में 44 खानों के 767.03 है0 क्षेत्र में या तो खनन कार्य बन्द करवाया गया है

या खाने खण्डित की गई हैं। शेष चालू 183 खानों का क्षेत्रफल 837. 237 है0 है।

- **अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्तरुप से किये गये प्रयासः–**
  राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम एवं समीक्षा बाबत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसकी प्रति माह बैठक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार उप खण्ड स्तर पर भी एक कमेटी गठित की हुई है जो नियमित बैठक कर अवैध खनन के विरुद्ध खान विभाग, राजस्व विभाग, व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर बृज क्षेत्र में कार्यवाही लगातार कर रही है। दिनांक 31.07.07 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गईः–
  पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 05 से 31 मई 07 तक कांमा उपखण्ड में अवैध खनन के सम्बन्ध में दर्ज अभियोगों का विवरणः–

कार्यवाही विवरण	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007(30 जुलाई तक)	योग
एफ.आई. आर.	30	86	108	224
गिरफ्तार व्यक्ति	22	58	111	191
जब्त वाहन	46	192	986	1224

खान विभाग द्वारा दर्ज कराये इस्तगासे व वसूल पैनल्टी का विवरणः–

वर्ष	पकडे गये प्रकरण	दर्ज कराये इस्तगासे	वसूल पैनल्टी
2004–2005	53	6	2,19,250
2005–2006	115	7	10,70,070
2006–2007	151	59	7,62,110
2007–2008 जुलाई 07 तक	63	1	3,25,668

<u>वर्ष 2006–2007 तक की गई कार्यवाही</u>

- जिले में 6 खनन पट्टों में अवैध खनन/ निर्गमन के मामले प्रमाणित होने से नियमानुसार नोटिस देकर खण्डित कर दिये गये हैं।
- अप्रेल 2006 से दो सयुॅक्त चैकपोस्ट बिलंग (कांमा), लहसर (कांमा) में स्थापित की गई है जिसमें खान विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के कर्मचारी तैनात किये गये हैं। दिनांक 10.1.2007 से कांमा में धिलावटी व देवी गेट पर दो अतिरिक्त सयुॅक्त चैकपोस्ट स्थापित की गई हैं। अब कुल 4 सयुॅक्त चैकपोस्ट हो गई हैं।
- अवैध खनन स्थलों बोलखेडा, घाटा, सुनहेरा एंव लेवडा को जाने वाले रास्तों को जे.सी.बी. की सहायता से काटे गये । खनिज बजरी की धुलाई के लिये कांमा में लगी होदियों को नष्ट किया गया । कुछ छुटपुट स्थानों पर अवैध खनन की कभी–कभार स्थानीय गांव वालों की शिकायतें प्राप्त होते ही तुरन्त कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2006–07 में इस क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशर्स का निरीक्षण कर रायल्टी अपवंचन के 15 प्रकरण प्रमाणित होने पर उनके विरूद्व खनिज की 10 गुणी रायल्टी की राशि की मांग कायम कर प्रकरण दिनांक 15.5.2007 को भू राजस्व अधिनियम के तहत देकर वसूली कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2006–07 में माह नवम्बर 2006 में श्रीमान् निदेशक महोदय के आदेशों की पालना में बाहर के कार्यालयों के अधिकारियों व तकनीकी कर्मचारियों की मदद से इस क्षेत्र के सभी खनन पट्टों का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों की पालना बावत चेतना पत्र जारी किये गये। चेतना पत्र की पालना नहीं करने पर 8 खनन पट्टों को खण्डित किया गया।
- वर्ष 2006–07 में जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि खान विभाग के तकनीकी कर्मचारियों या हल्का पटवारियों से खनन कार्य चालू की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रवन्ना देने चालू किये जावे। इसकी पालना में चालू खनन पट्टों में ही रवन्ने दिये जा रहे हैं।
- समय समय पर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर खननपट्टों के पिलर, व खान के बोर्ड का सत्यापन किया गया। जिनके द्वारा पिलर व बोर्ड नहीं लगा रखे थे उन्हें नोटिस देकर पालना करवाई गई।

वर्ष 2007–2008 में की गई कार्यवाही

- थाना कांमा में दर्ज प्रकरणों का विवरण–

1. अवैध खनन के सम्बन्ध में वर्ष 2007 में माह मई, 07 तक 36 अभियोग अन्तर्गत धारा एम.एम.आर.डी. एक्ट में दर्ज कर 47 आरोपियों को मोके से गिरफ्तार किया गया, जिनसे पत्थर व बजरी से भरे हुए 8 ट्रेक्टरों एंव 9 ट्रकों को जप्त किया गया।
2. विस्फोटक अधिनियम में वर्ष 2007 में माह मई, 07 तक 18 अभियोग दर्ज कर 7 ट्रेक्टर, 11 कम्प्रेशर ट्रेक्टर, 5 ड्रिल मशीन, 80 डेओनेटर, 100 फ्यूज वायर तथा अन्य भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त की गई है तथा 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
3. वर्ष 2007 में माह मई,07 तक अवैध खनन भरने जा रहे 56 वाहनों को 207 एम.वी.एक्ट में एंव 40 वाहनों को 206 एम.वी.एक्ट में जप्त किये गये हैं।
4. सयुँक्त कार्यदल द्वारा अब तक 334 ट्रक व ट्रेक्टर अवैध खनन से भरे हुये जप्त किये गये हैं।
5. संभावित अवैध खनन करने के स्थानों तक वाहन पहुँचने के रास्तों को जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदवाया जाकर अवरूद्ध कराये गये हैं तथा लगातार निरोधात्मक कार्यवाही इस सम्बन्ध में जारी है।

- थाना डीग में दर्ज प्रकरणों का विवरण–

  1. थाना डीग पर वर्ष 2007 में माह मई, 2007 तक एक अभियोग संख्या 131/07 धारा 379 भा.द.स. अवैध खनन के सम्बन्ध में दर्ज हुआ है, जिसमें 8 ट्रेक्टरों को पत्थरों से भरे हुए एव एक जे. सी.बी. मशीन को जप्त कर 10 व्यक्त्यिों को गिरफ्तार किया गया है।
  2. वर्ष 2007 में माह मई, 07 तक अवैध खनन के सम्बन्ध में 207 एम.वी.एक्ट के तहत ओवरलोडिंग में थाना डीग द्वारा 18 ट्रेक्टरों व 20 डम्फ्र वाहनों को जप्त किया गया है।

- वर्ष 2006–07 में इस क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशर्स का निरीक्षण कर रायल्टी अपवंचन के 19 प्रकरण प्रमाणित होने पर उनके विरूद्व खनिज की 10 गुणी रायल्टी की राशि की मांग कायम कर प्रकरण दिनांक 15.5.2007 को भू राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये ।शेष में स्थापित स्टोन रायल्टी का हिसाव जानने के लिये निरीक्षण करी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
- इस अभियान में 11 व्यक्तियों के विरूद्व अपनी खातेदारी जमीन से लगी हुई पहाडी जमीन पर अवैध खनन के प्रकरण बनाये गये । इन प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर तहसीलदार कांमा को उनके खातेदारी अधिकार समाप्त करने बावत सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रकरण दायर करने बावत लिखा जा रहा है।

- श्रीमान् शासन सचिव एंव निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कांमा, डीग, पहाडी के क्षेत्र में अवैध खनन निर्गमन की प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही बावत भरतपुर कार्यालय के सहायक खनि अभियन्ता का मुख्यालय अग्रिम आदेश तक कांमा (भरतपुर) में किया गया है । इनके साथ एक वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, दो खनि रक्षक व जीप दी गई है ।

परिवहन विभाग द्वाराओवर लोड की सयुँक्त चैकिग :–

माह मई 2007 से जुलाई 2007 तक परिवहन विभाग के साथ ओवर लोड की सयुँक्त चैकिग कांमा व डीग क्षेत्र में की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1. चैक किये गये वाहनों की संख्या– 630
2. बनाये गये चालानों की संख्या– 73
3. परिवहन विभाग द्वारा वसूल की गई राशि– 3.14 लाख